मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेशन योजना से संबंधित एफ.ए.क्यू

1. मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेशन योजना क्या है ?

राजस्थान के सभी श्रमिकों, पथ विक्रेताओं तथा लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और भविष्य सम्बन्धी आशंकाओं के समाधान एवं वृद्धावस्था में उन्हें संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की जाती है। यह स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना के रूप में संचालित होगी। योजना के पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रूपये 3000 रु (अक्षरे राशि रूपये तीन हजार मात्र) मासिक पेंशन दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत देय पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी।

2. योजना का नाम, प्रारम्भ और अनुप्रयोज्यता क्या है ?

इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, 2024 है।

इस योजना को राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में बजट घोषणा के तहत शुरू किया था। इस योजना के लागू होने के बाद 2025 में आवेदन और लाभार्थियों के पंजीकरण कार्य सक्रिय रूप से शुरू हुए।

इस योजना के उपबन्ध, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं तथा लोक कलाकारों पर लागू है।

योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है।

3. योजना में सम्मिलित होने की पात्रता क्या है ?

1. यह योजना सम्मिलित होने के लिए केवल उन असंगठित श्रमिक, पथ विक्रेता तथा लोक कलाकार के लिए खुली होगी, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा जिसकी मासिक आय पन्द्रह हजार रूपये से अधिक न हो और जिसका बैंक में अपने नाम से बैंक बचत खाता एवं आधार संख्या हों तथा केन्द्र सरकार के ई–श्रम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन संख्या हो।

2. श्रमिक पथ विक्रेता तथा लोक कलाकार योजना में सम्मिलित होते समय अठारह वर्ष से कम तथा पैतालीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं हो।

4. योजना में पात्र लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है ?

इस हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया अपनायी गई है, इस संबंध में निदेशक, बीमा के स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जाती है। इस कार्य में राज्य के श्रम विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग तथा अन्य विभाग जिन्हें राज्य सरकार निर्धारित करें, से अपेक्षित सहयोग लिया जाता है।

5. योजना को छोड़ने पर देय राशि क्या होगी ?

इस योजना के बाहर निकलने के उपबंध एवं देय राशि निम्नवत हैं

1. किसी पात्र अभिदाता के इस योजना में सम्मिलित होने के तीन वर्ष के (लॉक–इन पीरियड) पश्चात् तथा दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलने की स्थिति में, उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को उस रकम पर बैंक बचत खाता पर मिलने वाले ब्याज की दर के साथ लौटाया जाएगा।

2. यदि कोई पात्र अभिदाता इस योजना में सम्मिलित होने से दस वर्षों अथवा अधिक की अवधि के भीतर परन्तु साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व इस योजना से बाहर निकलता है तो उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को राज्य पेंशन निधि से अर्जित की जाने वाली वास्तविक ब्याज रकम को जोड़कर

RajKaj Ref No.:
21230654
eSign 1.0

Scanned with OKEN Scanner

अथवा उस रकम पर बैंक बचत खाता से मिलने वाले ब्याज दर, जो भी अधिक हो के साथ लौटाया जाएगा।

3. यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान किए हैं और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पति/पत्नी तदुपरांत यथा–प्रयोज्य नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा योजना में बने रहने अथवा राज्य पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हों, ब्याज सहित अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इसे छोड़ने का हकदार होगा /होगी।

4. अभिदाता और उसके पति /पत्नी की मृत्यु के पश्चात, यह समग्र राशि राज्य पेंशन निधि में वापस जमा की जाएगी।

6. निःशक्तता की स्थिति में देय राशि क्या होगी ?

यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान अदा किए हैं और साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले किसी कारणवश स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है, और इस योजना के अंतर्गत अंशदान देते रहने में असमर्थ हो जाता है, तो उसका पति/पत्नी तदुपरांत यथा प्रयोज्य नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा योजना में बने रहने अथवा राज्य पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हो, ब्याज सहित इस अभिदाता द्वारा अदा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इस योजना को छोड़ने का हकदार होगा/होगी तथा इस कारण छोड़ने के मामले में, सरकार के अंशदान का संचित भाग राज्य पेंशन निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा।

7. पेंशन का भुगतान कैसे होगा ?

1. एक बार पात्र अभिदाता 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की आयु में इस योजना में सम्मिलित हो जाता है तो उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अंशदान करना होगा।

2. इस योजना के अधीन प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन तीन हजार रूपये प्राप्त करेगा।

3. इस योजना के तहत पात्र अभिदाताओं को पेंशन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन फण्ड मैनेजर अथवा राज्य पेंशन निधि (यथा स्थिति) द्वारा भुगतान की जावेगी।

8. पारिवारिक पेशन की प्रयोज्यता क्या होगी ?

पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति/पत्नी परिवार पेंशन के रूप में पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का केवल पचास प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा/ होगी तथा ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही प्रयोज्य होगी।

Scanned with OKEN Scanner

9. विभागों की सहभागिता क्या है ?

राज्य सरकार की उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के दायित्व निम्नानुसार होंगे–

1. प्रशासनिक विभाग – वित्त (बीमा) विभाग रहेगा।

2. नोडल विभाग– राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उक्त योजना का संचालन, पर्यवेक्षण, समन्वय, समस्या समाधान, दावों के निस्तारण (यथास्थिति) आदि से संबंधित कार्यों का निर्वहन करेगा।

3. सहयोगी विभाग यथा श्रम विभाग, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग तथा अन्य विभाग जिनका योजना के लाभार्थियों से प्रत्यक्ष संबंध हो के द्वारा योजना का प्रचार–प्रसार, लाभार्थियों की पहचान, लाभार्थियों का योजना से जुड़ाव, नामांकित लाभार्थियों का योजना में निरन्तर बनाया रखना आदि दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

RajKaj Ref No.:
21230654
eSign 1.0

Scanned with OKEN Scanner